उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–2
संख्या 3887/III(2)18–41(रि0या0)/2013
देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विवादों की मध्यस्थता हेतु नियुक्त मध्यस्थतों को मानदेय दर की अनुमन्यता का पुनर्निर्धारण

कार्यालय ज्ञाप संख्या–6073/III(2)15–41(रि0या0)/2013 दिनांक 06 अगस्त, 2015 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विवादों की मध्यस्थता हेतु नियुक्त मध्यस्थतों हेतु अनुमन्य मानदेय की दरें, निर्धारित की गयी थी।

2– वर्तमान में मध्यस्थों की उचित मानदेय की दरें पुनः निर्धारित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए समुचित विचारोपरान्त नियुक्त सेवानिवृत्त तथा सेवारत अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए मानदेय की निम्नानुसार संशोधित दरें श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमन्य करते हैं :–

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं के किसी एक विवाद में मध्यस्थता में सुनवाई के लिये प्रतिदिन की दरे से मानदेय, जोकि अधिकतम सीमान्तर्गत निम्नानुसार देय होगी :–

क्र0 सं0	दावे(Claim)की धनराशि	स्थानीय सुनवाई की स्थिति में मानदेय की प्रतिदिन की दर (धनराशि ₹ में)	अन्य स्थान पर सुनवाई की स्थिति में मानदेय की प्रतिदिन की दर (धनराशि ₹ में)	अधिकतम मानदेय की धनराशि
1	05 करोड़ तक	4000/–	6000/–	दावे की धनराशि का 1% अथवा रू0 4.00 लाख, जो भी कम हो।
2	05 करोड़ से 10 करोड़ तक	7500/–	10000/–	दावे की धनराशि का 1% अथवा रू0 8.00 लाख, जो भी कम हो।
3	10 करोड़ से अधिक	10000/–	12500/–	रू0 12.00 लाख।

3– आर्बीट्रेशन की सुनवाई के दिनों में रीडिंग, सेक्रेटेरियेट असिस्टेंस/इंसीडेंटल व अवार्ड के प्रकाशन/डेलिगेशन चार्जेज के रूप में वास्तविक व्यय देय होगा, जो कि निम्नानुसार अधिकतम सीमान्तर्गत होगा :–

रीडिंग चार्जेज,	अधिकतम सीमा ₹ 5000
सेक्रेटेरियेट असिस्टेंस/इंसीडेंटल चार्जेज	अधिकतम सीमा ₹ 7000
प्रकाशन/डेलिगेशन चार्जेज	अधिकतम सीमा ₹ 7000

4– कार्यालय ज्ञाप संख्या–6073/III(2)15–41(रि0या0)/2013 दिनांक 06 अगस्त, 2015 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।